न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलोदी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी यशपाल आहुजा (आर.ए.एस.)

प्रार्थी
राम पुत्र श्री जसवंताराम
ति विश्नोई निवासी जम्भसागर
सील फलोदी जिला जोधपुर (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण
1. गोमदराम पुत्र चीमाराम जाति विश्नोई निवासी जम्भ सागर तहसील फलोदी जिला जोधपुर (राज.)
2. शाखा प्रबंधक, एस.बी.बी.जे. शाखा फलोदी
3. तहसीलदार फलोदी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

स्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 37 / 2019

स्थित :—
1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस.पातावत एवं के.एस.राठौड़
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई
3. अप्रार्थी सख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नही

निर्णय

दिनांक :—

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है ग्राम जम्भसागर पटवार क्षेत्र भींयासर तहसील लोदी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1331/2 रकबा 10. बीघा स्थित है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1331/2 व ग्राम भींयासर से मतोड़ा जाने वाला आम र्ग जिस पर वर्तमान में मुडिया सड़क वनी हुई है, के बीच अप्रार्थी सख्या 1 की खातेदारी अधिकारों भूमि खसरा नम्बर 1331/3 रकवा 10.12 वीघा मात्र एक खेत ही स्थित है। ग्राम भींयासर से तोड़ाआम सड़क से प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1331/2 व उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने ने का एक मात्र 15 फीट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी सख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1331/3 की भूमि से प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा में मार्क ए से वी अनुसार चल रहा है। प्रार्थी अपने खेत व वासीय ढाणी तक आने जाने का रास्ता का नजरी नक्शा अनुसार उपयोग उपभोग करता आ रहा । हाल ही में अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा रास्ते में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। प्रार्थी उपरोक्त नुसार रास्ता रेकर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है और न्यायालय द्वारा प्रतिकर नियत करने पर प्रार्थी संख्या 1 को अदा करने हेतु तत्पर है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया या, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार विश्नोई ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत र निवेदन है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में गलत एंव मिथ्या कथन अंकित किये है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1331/3 में किसी प्रकार का रास्ता नहीं चलता है और न ही कोई रास्ता के आलामात ही है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपना मकान निर्माण हेतु नीवीं खोदने और निर्माण कार्य शुरू करने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को हैरान व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1331/3 में से किसी प्रकार का रास्ता चलता ही नहीं है तो उसको वंद करने के कथन सरासर गलत एंव मिथ्या है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिये रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1331/3 में से न तो पूर्व में चलता था और न ही आज दिन तक चलता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया ही मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वावजुद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं हुआ उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फलोदी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, तहसीलदार फलोदी द्वारा रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 1331/3 में से 443 फीट लम्बा गुणा 15 फीट चौड़ा कुल वर्गफीट (7.71 बिस्वा) भूमि प्रस्तावित रास्ते के उक्त खसरा से ली जाकर प्रार्थीगण को गुण के आधार पर रास्ता दिया जाना न्यायोचित बताया। पत्रावली बहस में रखी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे की भूमि ग्राम जम्भसागर पटवार क्षेत्र भींयासर तहसील फलोदी में खसरा नम्बर /2 रकबा 10.11 बीघा स्थित है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1331/2 व ग्राम भींयासर से जाने वाला आम मार्ग जिस पर वर्तमान में मुडिया सड़क बनी हुई है, के बीच अप्रार्थी संख्या खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 1331/3 रकबा 10.12 बीघा मात्र एक खेत ही है। ग्राम भींयासर से मलोडाआम सड़क से प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1331/2 व उसमें बनी ीय ढाणी में आने जाने का एक मात्र 15 फीट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा 1331/3 की भूमि में से प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा में मार्क ए से बी अनुसार चल रहा र्थी अपने खेत व आवासीय ढाणी तक आने जाने का रास्ता का नजरी नक्शा अनुसार उपयोग ा करता आ रहा है। हाल ही में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रास्ते में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा र्थी उपरोक्त अनुसार रास्ता रेकर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है और न्यायालय द्वारा प्रतिकर करने पर अप्रार्थी संख्या 1 को अदा करने हेतु तत्पर है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी को रास्ता से जोड़ने हेतु अन्य कोई नजदीक में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुवे कहा कि प्रार्थी ने उक्त ा पत्र में गलत एंव मिथ्या कथन अंकित किये है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर /3 में किसी प्रकार का रास्ता नहीं चलता है और न ही कोई रास्ता के आलामात ही है। र्थी संख्या 1 द्वारा अपना मकान निर्माण हेतु नीवीं खोदने और निर्माण कार्य शुरु करने पर प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 को हैरान व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। र्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1331/3 में से किसी प्रकार का रास्ता चलता ही नहीं है तो ो बंद करने के कथन सरासर गलत एंव मिथ्या है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिये रास्ता र्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1331/3 में से न तो पूर्व में चलता

और न ही आज दिन तक चलता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को हैरान व परेशान करने की त से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त खसरान् के अन्य पड़ौसी खातेदारों ने अप्रार्थी संख्या 1 खेत में से किसी प्रकार के रास्ता की मांग नहीं की है। फिर भी अगर न्यायालय हाजा अप्रार्थी ा 1 की भूमि में से प्रार्थी को रास्ता दिलाया जाना उचित समझता हो तो अप्रार्थी संख्या 1 की जो रास्ता के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 के खाते से ली जाती है तो अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी भूमि के बदले भूमि दिलाई जाकर क्षतिपूर्ति की जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 ने पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को गुणावगुण के आधार पर रास्ता ा जाना न्यायोचित बताया।

अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी, नक्शा ट्रैस सीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी को अपने खातेदारी के खसरा नम्बर 1331/2 की भूमि ग्राम जम्भसागर पटवार क्षेत्र भींयासर तहसील फलोदी जिला पुर में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1331/3 रकबा 10.12 बीघा में से वित रास्ते के अलावा अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं है। जो तहसीलदार फलोदी एवं पटवारी का की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया ता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया कर प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 1331/2 रकबा 10.11 बीघा भूमि ग्राम जम्भसागर पटवार त्र भींयासर तहसील फलोदी तक पहुंचने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1331/3

Scanned by CamScanner

ा 10.12 बीघा में से 448 फीट लम्बा गुणा 15 फीट चौड़ा कुल 6720 वर्गफीट (7.71 बिस्वा) तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द नजरी नक्शा अनुसार भूमि रास्ता के उपयोग हेतु ं को अनुज्ञात किया जाता है। रास्ता के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 के खाते से ली जाने वाली के बदले प्रार्थी के खसरा नम्बर 1331/2 में से अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि के बदले चिपता त भूमि दिलवाई जावे। तहसीलदार फलोदी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को रास्ता के बदले ा खसरा नम्बर 1331/2 में से अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि दी जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 के रा नम्बर 1331/3 रकबा 10.12 बीघा में से 448 फीट लम्बा गुणा 15 फीट चौड़ा कुल 6720 फीट (07.71 बिस्वा) भूमि की रास्ता की तरमीम कर रास्ता प्रार्थी को दिलावे। तहसीलदार फलोदी प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा दिनांक 02.05.2019 को जारी न आदेश को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहुजा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
फलोदी

Scanned by CamScanner